भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1766

जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2024 को दिया जाना है।

.....

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी)

1766. श्री राव राजेन्द्र सिंह:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान राज्य में नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा नदी-वार क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) परिवर्तित पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) की वर्तमान स्थिति क्या है जो राजस्थान के 21 जिलों के लोगों और किसानों के लिए लाभकारी है;

(ग) क्या सरकार का इस परियोजना में तेजी लाने का विचार है ताकि इसे निर्धारित समय-सीमा से पहले पूरा किया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो जनता की शिकायतों के शीघ्र निवारण हेतु सरकार द्वारा किस प्रकार वैकल्पिक तंत्र स्थापित करने का विचार है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (घ): भारत सरकार ने वर्ष 1980 में जल की अधिकता वाले बेसिन से जल की कमी वाले बेसिन में जल के अंतरण के लिए नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की थी। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) ने 30 नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी (आईएलआर) परियोजनाओं (प्रायद्वीपीय घटक के तहत 16 और हिमालयी घटक के तहत 14) को चिन्हित किया है।

राजस्थान राज्य को एनपीपी के तहत तीन (03) आईएलआर परियोजनाओं नामतः यमुना-राजस्थान लिंक परियोजना, राजस्थान-साबरमती (आरएस) लिंक परियोजना और संशोधित पार्बती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) लिंक परियोजना द्वारा लाभ मिलना है। इन आईएलआर परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति इस प्रकार है:-

क्र.सं.	लिंक का नाम	लाभान्वित राज्य	मौजूदा स्थिति
1.	**क.)** पार्बती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) लिंक	मध्य प्रदेश (एमपी) और राजस्थान	व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) पूरी कर ली गई है।

	ख.) संशोधित पार्बती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) लिंक	मध्य प्रदेश (एमपी) और राजस्थान	पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) पूरी कर ली गई है।
2.	यमुना- राजस्थान लिंक	हरियाणा और राजस्थान	व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) पूरी कर ली गई है।
3.	राजस्थान-साबरमत्ती (आरएस) लिंक	राजस्थान और गुजरात	व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) पूरी कर ली गई है।

एनपीपी के एक भाग के रूप में, संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना को प्राथमिकृत आईएलआर परियोजनाओं के रूप में घोषित किया गया है। शीघ्र कार्यान्वयन के लिए इस परियोजना में तेजी लाने के लिए, भारत सरकार ने मध्यप्रदेश और राजस्थान पार्टी राज्यों के बीच सहमती बनाने के लिए सशक्त प्रयास किए हैं। इस लिंक परियोजना की प्रगति दोनों पार्टी राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी विशेष समिति की बैठक, नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी कार्य बल की बैठक, एनडब्ल्यूडीए सोसायटी की जेनरल मिटिंग, एनडब्ल्यूडीए की शासी निकाय बैठक और अन्य अंतर्राज्यीय बैठकों में विभिन्न स्तरों पर समीक्षा की गई है।

संशोधित पीकेसी लिंक का पीएफआर पूरी कर ली गई है और जनवरी, 2023 में पार्टी राज्य मध्यप्रदेश और राजस्थान दोनों को परिचालित किया गया है। बाद में, इस लिंक परियोजना की विस्तृत योजना और इसके विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी के लिए दिनांक 28.01.2024 को राजस्थान, मध्यप्रदेश राज्य और जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

भारत सरकार ने इस आईएलआर कार्यक्रम को उच्च वरियता दी है, जिसे संबंधित आईएलआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पार्टी राज्यों के बीच जल के बंटवारे आदि जैसे मुद्दों को परामर्शी रूप से और सहमती आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना सहित आईएलआर परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु सहमति बनाना पार्टी राज्यों का उत्तरदायित्व है।

*****